

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के वरिद्ध भारत की लड़ाई

प्रलिस के लयि:

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के वरिद्ध भारत की लड़ाई, [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, वसितारति नरिमाता उत्तरदायतिव](#)

मेन्स के लयि:

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के वरिद्ध भारत की लड़ाई, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, संरक्षण

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्या में क्यो?

वर्ष 2018 में भारत ने वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं (SUP) को चरणबद्ध तरीके से खतम करने की प्रतबिद्धता जताई थी, तीन वर्ष बाद, 12 अगस्त, 2021 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) द्वारा प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन संशोधन नयिम, 2021 के माध्यम से चहिनति कयि गए एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतबिंध अधसिचति कयि गया था। इस संदर्भ में SUP पर लगाए गए प्रतबिंधों के साथ कुछ प्रगता हुई है, साथ ही, कुछ चुनौतियिं वर्तमान में अभी भी बरकरार है।

[छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा](#) (UNEA-6) के दौरान जारी एक रपिर्ट के अनुसार, पूरे भारत में तेज़ी से फलता-फूलता स्ट्रीट फूड क्षेत्र एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर बहुत अधिक नरिभर है।

SUP के संबंध में UNEA-6 में जारी रपिर्ट के प्रमुख बदि क्यो हैं?

- **स्ट्रीट फूड क्षेत्र का एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर नरिभरता:**
 - भारत के स्ट्रीट फूड बाज़ार अथवा यूँ कहें कि इस क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली प्लेट, कटोरे, कप और कंटेनर जैसे एकल-उपयोग प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उपयोग कयि जाता है। ये वस्तुएँ वहीनीय होने के साथ-साथ देश की अपशषिट प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।
- **पुनः उपयोग प्रणाली के लाभ:** रपिर्ट से पता चलता है कि पुनः उपयोग प्रणाली के वभिनिन लाभ हो सकते हैं जनिमें व्यावसायिक लाभ भी शामिल हैं:
 - **कम लागत:** इस प्रणाली का प्रयोग वकिरेताओं और ग्राहकों दोनों के लयि लाभकारी हो सकता है।
 - **अपशषिट में कमी आना:** इस प्रणाली के प्रयोग से आवश्यक पैकेजिग सामग्री की मात्रा काफी कम हो जाती है।
 - **वतितीय दृष्टि से व्यवहार्य:** रपिर्ट के अनुसार इस प्रणाली में नविश से 2-3 वर्ष की पैबैक अवधि के साथ संभावति 21% रटिरन मलिने की अच्छी संभावना होती है।
 - **अन्य कारक:** इस प्रणाली की प्रभावशीलता को अधिकितम करने के लयि सामग्री का चयन, प्रतधारण समय, वापसी दर, जमा राशि और सरकारी प्रोत्साहन आदि महत्त्वपूर्ण कारक हैं।
- **सुझाव:**
 - भारत के स्ट्रीट फूड क्षेत्र में पुनः प्रयोज्य पैकेजिग प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहति कयि जाना चाहयि।
 - यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से एक सतत् समाधान हो सकता है, जो कसिभी हतिधारकों के लाभ तथा भारतीय शहरों के लयि अधिक सुनम्य व धारणीय भवषिय का मार्ग प्रशस्त करता है।

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक क्यो है?

- “इसका अर्थ प्लास्टिक की ऐसी वस्तुओं से है जसिके नपिटान अथवा पुनरचकरण से पूर्व एक उद्देश्य के लयि एक ही बार उपयोग कयि जाता है।”
 - वस्तुओं की पैकेजिग से लेकर शैंपू, डटिरजेंट, सौंदर्य प्रसाधन की बोटलें, पॉलथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लगि फलिम, अपशषिट बैग, खाद्य पैकेजिग आदि नरिमति और उपयोग कयि जाने वाले प्लास्टिक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की हसिसेदारी सर्वाधिक है।
- उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का

योगदान 5-10% तक हो सकता है।

एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वर्तमान स्थिति क्या है?

■ प्रतबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएँ:

- भारत ने वर्ष 2021 में 19 चिह्नित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतबंध लगा दिया था, कति इसके प्रचलन पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त करने में वफिल रहा।
- प्रतबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की वार्षिक हस्सिसेदारी लगभग 0.6 मिलियन टन प्रतविरष है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (MOEFCC) ने वर्ष 2022 में वसितारति नरिमाता उत्तरदायतिव (EPR) नीतिलागू की, जो शेष एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर लागू होती है, जसिमें मुख्य रूप से पैकेजिंग उत्पाद शामिल हैं।
 - EPR नीतिमुख्यतः संग्रह और पुनरचकरण पर केंद्रति है।

PARAMETERS FOR THE BAN ON SINGLE-USE PLASTIC IN INDIA

Utility Index—parameters (100)	Environmental Impact—parameters (100)
Hygiene (20)	Collectability (20)
Product safety (20)	Recyclability (20)
Essentiality (20)	Possibility of end-of-life solutions (20)
Social Impact (20)	Environmental Impact of alternative products (20)
Economic Impact (20)	Littering propensity (20)

■ प्लास्टिक उत्पादन में भारत की हस्सिसेदारी:

- प्लास्टिक वेस्ट मेकरस इंडेक्स 2019 की रपौरट के अनुसार, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पॉलमिर के उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर 13वाँ सबसे बड़ा नविशक था।
- 5.5 मिलियन टन एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशषिट के उत्पादन के साथ भारत वशिव स्तर पर तीसरे स्थान पर है तथप्रतविरष 4 किलोग्राम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशषिट उत्पादन के साथ 94वाँ स्थान पर है, जो दर्शाता है कि भारत में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतबंध लगाकर इसे पूरी तरह नियंत्रति करने की दशिा में काफी कुछ शेष है।

■ प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन और भारत:

- UNEP के देश-आधारति प्लास्टिक संबधी डेटा से पता चला है कि प्लास्टिक अपशषिट के प्रबंधन के संदरभ में भारत काफी पीछे है, जहाँ भारत अपने प्लास्टिक अपशषिट का मात्र 15% प्रबंधति करता है।
- सामान्यतया प्रयोग में लाया जाने वाला SUP अपशषिट सड़कों के कनारि फेंक दिया जाता है या फरि जला दिया जाता है, इससे कभी नालयिँ अवरुद्ध हो जाती हैं, कभी ये नदयिँ में बह जाती हैं, यह समुदर में भी फेल जाता है, जसिसे प्रतयकष या अपरतयकष रूप से समुद्री जीवों को नुकसान पहुँचता है क्योकि महीनों, वर्षों और दशकों में यह सूक्ष्म तथा नैनो-आकार के कणों में बदल जाता है।

एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के नपिटने में क्या चुनौतयिँ हैं?

■ वकिलप का अभाव:

- व्यवहार्य वकिलपों की सीमति उपलब्धता एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रकरयिा में प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- हालाँकि कुछ वकिलप उपलब्ध हैं, कति वे लागत प्रभावी, सुवधिजनक अथवा व्यापक रूप से सुलभ नहीं हैं, जसि कारण उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लयि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना एक मुश्कल काम है।

■ आर्थिक संदरभ:

- वहनीय और सुवधिजनक होने के कारण एकल उपयोग वाले प्लास्टिक आमतौर पर प्रयोग में लाये जाने हेतु पसंदीदा वकिलप होते हैं। वकिलपों में बदलाव लाने के लयि अनुसंधान, वकिस तथा बुनयिादी ढाँचे में नविश आवश्यक हो सकता है जो व्यवसायों व सरकार दोनों के लयि महँगा हो सकता है।
- इसके अतरिकित, इस बात की भी काफी संभावना होती है कउपभोक्ता वैकल्पिक उत्पादों के लयि अधिक कीमत चुकाने को तैयार न हों।

■ अवसंरचना:

- प्लास्टिक के नपिटान और पुनरचकरण के प्रबंधन के लयि पर्याप्त अपशषिट प्रबंधन बुनयिादी ढाँचा आवश्यक है। हालाँकि वशिष रूप से वकिसशील देशों में, उचति अपशषिट प्रबंधन के लयि आवश्यक बुनयिादी ढाँचे का अभाव है, जसिके परगामस्वरूप प्लास्टिक प्रदूषण

तथा पर्यावरणीय क्षरण हो रही है।

■ नीति और वनियम:

- हालाँकि कुछ देशों ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये कुछ नयिम लागू किये हैं, कति उनका क्रियान्वयन और अनुपालन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- कुछ मामलों में, यह एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उद्योग जगत के लिये अहतिकारी भी हो सकता है जो मुख्यतः इसी पर निर्भर हैं, साथ ही उन उपभोक्ताओं के लिये भी जो उनकी सुविधा के आदी हैं।

■ उपभोक्ता अभिवृत्ति:

- एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रति उपभोक्ता अभिवृत्ति तथा दृष्टिकोण को बदलना इसके उपयोग में कमी लाने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- हालाँकि यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसका एक कारण यह है कि इसके उपयोगकर्ता इसके आदी हो चुके हैं और दूसरी बात कि उनमें इसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है।

■ आजीविका पर प्रभाव:

- कुछ मामलों में, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आजीविका पर अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, विशेष रूप से उन उद्योगों में कार्यरत लोगों के लिये जो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन अथवा बिक्री पर निर्भर हैं।
- एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयासों में सामाजिक-आर्थिक नहितार्थों पर विचार किया जाना आवश्यक है तथा साथ ही, प्रभावित व्यक्तियों एवं समुदायों को सहायता प्रदान भी की जानी चाहिये।

एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की समस्या के निपटान के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

■ कानून लागू किया जाना:

- नरीक्षण के दौरान ध्यान दी जाने वाली बातों के संबंध में अधिकारियों, विशेषकर चालान जारी करने वालों की **क्षमता को उन्नत किये जाने की आवश्यकता है**। नरीक्षण टीमों को गेज़ मीटर जैसे उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विभिन्न सुविधाओं में नरीक्षण पैमाने पर रपॉर्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिये।

■ पर्यावरण अनुपालन का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिये:

- CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और MOEFCC को आदेशित करना चाहिये कि स्थानीय सरकारें व राज्य अपनी वेबसाइटों पर त्रैमासिक अपडेट उपलब्ध करें, **जिसमें पर्यावरणीय मुआवज़े, लगाए गए जुर्माने की जानकारी शामिल हो**।
- राज्यों को भी पाक्षिक रूप से CPCB को प्रवर्तन रपॉर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये। CPCB को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह जानकारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार उसकी वार्षिक रपॉर्ट में शामिल की जाए तथा नज़ी अभिकर्ताओं व राज्य प्राधिकरणों से एकत्र किये गए डेटा को साझा किया जाए।

■ माइक्रॉन व्यवसाय पर प्रतिबंध:

- कैरी बैग (चाहे इसकी मोटाई कुछ भी हो) पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। यह भारत की तुलना में कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जैसे कि **तंज़ानिया और रवांडा** जैसे विभिन्न पूर्वी अफ्रीकी देश।
- भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ने अपने गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नियंत्रण अधिनियम 1998 के माध्यम से कैरी बैग के उत्पादन, वितरण, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

■ वैकल्पिक SUP बाज़ार में निवेश:

- **वकिलों की कमी के कारण SUP के प्रयोग को पूर्णतया बंद करना एक बड़ी समस्या है**। लागत प्रभावी एवं सुविधाजनक वैकल्पिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाने के पश्चात बाज़ार में बदलाव आएगा।
- हालाँकि, मौजूदा वैकल्पिक वर्तमान में काफी नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास** के साथ ही पछिले काफी लंबे समय से सरकार द्वारा वैकल्पिक उद्योग को बढ़ावा देने में सरकार की उपेक्षा है।

अन्य देश SUP के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं?

■ हस्ताक्षर संकल्प:

- **भारत उन 124 देशों में शामिल था**, जिनोंने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिये निर्माण से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन को संबोधित किया और साथ ही **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा** के प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने हेतु **वर्ष 2022 में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर** किये थे। यह समझौता अंततः हस्ताक्षरकर्ताओं के लिये कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा।
- **जुलाई 2019 तक, 68 देशों में प्रवर्तन** की अलग-अलग डगिरी के साथ **प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध** है।

■ वे देश जहाँ प्लास्टिक प्रतिबंधित हैं:

- **बांग्लादेश:**
 - वर्ष 2002 में बांग्लादेश पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना।
- **न्यूज़ीलैंड:**
 - जुलाई 2019 में न्यूज़ीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया।
- **चीन:**
 - चीन ने चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ वर्ष 2020 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया।
- **अमेरिका:**
 - **अमेरिका के आठ राज्यों द्वारा एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध** लगा दिया है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में कैलिफोर्निया से हुई थी। सप्टेंबर वर्ष 2018 में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रमुख अमेरिकी शहर बन गया।
- **यूरोपीय संघ:**

- जुलाई, 2021 में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर नरिदेश यूरोपीय संघ (EU) में प्रभावी हुआ।
- नरिदेश कुछ एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतबिंध लगाता है जिसके लिये विकल्प उपलब्ध हैं, एकल-उपयोग प्लास्टिक प्लेटें, कटलरी, स्ट्रॉ, गुब्बारे की छड़ें तथा कपास की कलियाँ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बाज़ारों में नहीं बेची जा सकती हैं।
- यही उपाय वसितारति पॉलीस्टाइनि से बने कप, खाद्य एवं पेय पदार्थों के कंटेनरों के साथ-साथ ऑक्सो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने सभी उत्पादों पर लागू होता है।

नषिकर्ष

एकल-उपयोग प्लास्टिक के वरिद्ध भारत की लड़ाई नीति निर्माताओं, उद्योग हतिधारकों एवं नागरिकों से समान रूप से ठोस प्रयास की मांग करती है। हालाँकि प्रगति हुई है, प्रवरतन, जागरूकता तथा बुनयादी ढाँचे में खामियाँ बनी हुई हैं। स्थायी समाधानों को अपनाने के साथ-साथ सक्रिय उपायों को प्राथमकता देकर, भारत एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रतकिल प्रभावों को कम कर सकता है और एक स्वच्छ, हरति भवषिय का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. पर्यावरण में मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणकियाँ (माइक्रोबीड्स) के वषिय में अत्यधिक चिंता क्यों है? (2019)

- (a) ये समुद्री पारतित्रों के लिये हानिकारक मानी जाती हैं।
- (b) ये बच्चों में त्वचा कँसर का कारण मानी जाती हैं।
- (c) ये इतनी छोटी होती हैं कि सचिचि कषेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषति हो जाती हैं।
- (d) अकसर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मलावट के लिये कथिा जाता है।

उत्तर: (a)

- सूक्ष्म मणकियाँ (माइक्रोबीड्स) छोटे, ठोस, नरिमति प्लास्टिक के कण हैं जिनका आकार 5 ममी. से छोटा होता है और जल में नमिनीकृत या वषियोजति नहीं होते हैं।
- मुख्य रूप से पॉलीथीन से बने माइक्रोबीड्स को पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक जैसे- पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपाइलीन से भी तैयार कथिा जा सकता है। उन्हें उत्पादों की एक शृंखला में जोड़ा जा सकता है, जसिमें सौंदर्य प्रसाधन, वयकतगित देखभाल तथा सफाई उत्पाद शामिल हैं।
- माइक्रोबीड्स अपने छोटे आकार के कारण सीवेज उपचार प्रणाली के माध्यम से अनफिल्टरड हो जाते हैं एवं जल नकियाँ तक पहुँच जाते हैं। जल नकियाँ में अनुपचारति माइक्रोबीड्स समुद्री जीवों द्वारा ग्रहण कर लिये जाते हैं एवं इस प्रकार वषिकतता उत्पन्न करते हैं तथा समुद्री पारसिथितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं।
- वर्ष 2014 में कौंसमेटिक्स माइक्रोबीड्स पर प्रतबिंध लगाने वाला नीदरलैंड पहला देश बन गया।
- अतः विकल्प (A) सही उत्तर है।